निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 23/2016 अपील
दायरा दिनांक :— 08.12.2016
निर्णय दिनांक :— 23.05.2017

उनवान

त्रिलोक पुत्र दुर्गालाल जाति भील निवासी पीथपुर तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र गोपाल भील निवासी पीथपुर तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. चम्पालाल पुत्र गोपाल जाति भील निवासी पीथपुर तहसील छीपाबडौद जिला बारां
3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां
4. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा छीपाबडौद

अपील इन्तकाल नं0 378 ग्राम पंचायत पीथपुर
निर्णय दिनांक :— 23.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री जगदीश सिंह अपीलांट
2. श्री कुंजबिहारी नागर रेस्पो0

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नं0 378 विरूद्ध रेस्पो0 के न्याया0 मनें इस आशय का पेश किया ग्राम पीथपुर में दुर्गालाल, पन्नालाल व चम्पालाल पि0 गोपाल जाति भील निवासी पीथपुर के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में ख0नं0 120 रकवा 4.08 बीघा, ख0नं0 121 रेवा 1.01 बीघा, ख0नं0 122 रकवा 0.18 बीघा, ख0नं0 123 रकवा 1.19 बीघा, ख0नं0 196 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 243 रकवा 2.05 बीघा, ख0नं0 244 रकवा 1.14 बीघा, ख0नं0 245 रकवा 1.08 बीघा कुल किता 8 रकवा 13.17 बीघा स्थित है जो सभी खातेदारान के हिस्सा 1/3 प्रत्येक खाते दर्ज चली आ रही है। खातेदार दुर्गालाल के कोई संतान नहीं थी तथा दुर्गालाल की पत्नी रामनाथी दुर्गालाल के जीवन काल में ही फोत हो चुकी थी। दुर्गालाल व उनकी पत्नी ने अपीलन्ट को 5 वर्ष की उम्र से ही गोद लिया था तथा अपीलान्ट परवरिस व शादी भी दुर्गालाल व उनकी पत्नी द्वारा ही किया था तथा अपीलन्ट व उसकी पत्नी द्वारा ही जीवन पर्यन्त दुर्गालाल व उनकी पत्नी की पुत्रवत सेवा की गई है। रामनाथी माता का अन्तिम संस्कार व सभी सामाजिक कार्यक्रम अपीलान्ट द्वारा ही किये थे तथा दुर्गालाल के मरने के बाद भी उनके अन्तिम संस्कार व सभी कार्यक्रम अपीलान्ट द्वारा ही किया गया था। अपीलान्ट हमेशा दुर्गालाल के पुत्रवत रहा तथा राशन कार्ड व अन्य सभी लिखा पढी में अपीलान्ट का नाम दुर्गालाल के साथ ही रहा है। दुर्गालाल अपीलान्ट के दत्तक पिता का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2000 को हो गया थ जिनके कार्यकम के बाद अपीलान्ट ने तत्कालीन हल्का पटवारी को इन्तकाल खोलने कककककके लि गोदनामा दिया था जो आज तक भी उनके ही पास है लेकिन फसल वर्ष संवत 2072—73 का फस खाराबा मुआवजा आने पर अपीलान्ट ने मालूम किया तब पता चला कि दुर्गालाल की मृत्यु के वाद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

दुर्गालाल के कब्जे काश्त की आराजी का हिस्सा 1/3 अपीलान्ट के खाते दर्ज न होकर रेस्पो0 पन्नालाल व चम्पालाल के 1/2 प्रत्येक खाते दर्ज हो गया है। अपीलान्ट मृतक दुर्गालाल का दत्तक पुत्र है तथा अपीलान्ट द्वारा ही मृतक दुर्गालाल का सभी सामाजिक कार्यक्रम पुत्रत्रवत किया है तथा अपीलान्ट ही दुर्गालाल का एक मात्र वारिस है जो इन्तकाल नम्बर 378 ग्राम पीथपुर को खारिज करवाकर अपना नाम खाते दर्ज करवाने अधिकारी है। वाद कारण दिनाक 29.11.2016 को उत्पन्न हुआ जब अपीलान्ट द्वारा मुआवजा लेने हेतु खाता की नकल प्राप्त की जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं था। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलव किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 की ओर से इकवाली जबाव पेश हुआ। रेस्पो0 क्रम 2 बावजूद सूचना के न्याया0 में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पीथपुर संवत 2071–74 खाता संख्या 59 पेश की गई। नकल नामान्तरकरण नं0 378 ग्राम पीथपुर पेश किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र दुर्गालाल का पेश किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2044, फोटो प्रति राशन कार्ड दुर्गालाल पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट व रेस्पो0 क्रम 1 स्वयं राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित हुए। रेस्पो0 क्रम 1 ने इकबाली जबाव पेश किया। तथा रेस्पो0 क्रम 1 का कथन है कि अपीलान्ट का नाम खाते में दर्ज कर दिया जावे जो रेस्पो0 क्रम 1 कोई आपत्ती नही है। पक्षकारान आपसी सहमति के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया हैं।

उभय पक्षकारान को सुना गया एवं प़त्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पीथपुर सम्वत 2071–74 के अनुसार पन्नालाल व चम्पालाल का नाम दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत नेल नामान्तरकरण नं0 378 ग्रम पीथपुर के अनुसार दुर्गालाल, पन्नालाल चम्पालाल दर्ज था। दुर्गालाल की मृत्यु के वाद इन्तकाल नं0 378 खोलते समय दुर्गालाल को लाऔलाद फौत होना बताकर खाते से नाम खारिज किया गया जबकि दुर्गालाल का वारिस अपीलान्ट मौजूद था अपीलान्ट का नाम खाते में दर्ज करने में रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं हैं। अपील अपीलान्ट आपस सहमति के आधार पर राजसव लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में स्वीकार किया जाना न्यायोचि हैं।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलन्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके केम्प पछाड पर पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार कि जाती हैं। नामान्तरकरण 378 ग्राम पीथपुर खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार छीपाबडौद को प्रकरण मृतक दुर्गालाल वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला

Scanned by CamScanner

दिनांक	कार्यवाही	
17.5.17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट की ओर से इकरारनामा पेश हुआ को शामिल किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पहाड़ पर दिनांक 23.5.17 को पेश हो।	अ.नि. पन्ना
23.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पहाड़ पर पेश हुई। अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट हाजिर। उक्त रेस्पोन्डेन्ट व अपीलार्थी द्वारा राजीनामा पत्र पेश किया। रेस्पो. का कथन है कि अपीलार्थी विवादित का नाम खोले है इसे [illegible] दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा पत्र स्वीकार किया जाता है। आपसी समझौते के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है, विद्वान निचली अदालत के निर्णय [illegible] किया। तहसीलदार [illegible] को पालना हेतु नकल जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।	अ.नि. बिरदा